भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2108

(जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया गया)

काली सूची से कंपनियों का नाम हटाया जाना

2108. श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू पी ए सरकार द्वारा वर्ष 2004 से 2014 के बीच काली सूची में डाली गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त कंपनियों में से कितनी कंपनियों को काली सूची से हटा दिया गया है; और

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय ने काली सूची में शामिल इन कंपनियों में से किसी कंपनी को कोई आपूर्ति आदेश जारी किया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को काली सूची में डालने का कोई प्रावधान नहीं है।

रक्षा मंत्रालय से बारह कंपनियों के संबंध में इनपुट प्राप्त हुए हैं और उनके साथ व्यवसायिक संबंध निलंबित कर दिए गए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से किसी कंपनी को वर्जित कंपनियों की सूची से नहीं हटाया गया है और रक्षा मंत्रालय द्वारा विवर्जन आदेश जारी होने के पश्चात् भावी व्यवसायिक संबंध से विवर्जित फर्मों के साथ पूंजी खरीद के लिए किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

*****